



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-28032026-271383
CG-WB-E-28032026-271383

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1551]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2026/चैत्र 6, 1948

No. 1551]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2026/CHAITRA 6, 1948

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

कोलकाता, 26 मार्च, 2026

का.आ. 1616(अ).—अधिसूचना संख्या का.आ. 707(अ). दिनांक 06 जनवरी, 2017 भारत के राजपत्र और का.आ. 708(अ). दिनांक 20 फरवरी, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित, में अंशतः परिवर्तन करते हुए तथा पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के खंड-3(6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, **नीरज कुलहरि**, उप पटसन आयुक्त एतद्वारा अन्तिम रूप से 580 ग्राम 'टाइप-ए' एवं 'टाइप-बी' प्रकार जनवरी 2017 और फरवरी 2017 माह के जूट बोरे की अधिकतम फैक्टरी उत्तर (एक्स फैक्टरी) मूल्य निर्धारित करता हूँ -जो नियमानुसार है:-

विवरण	पूर्व अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	बोरे का प्रकार	पहले निर्धारित मूल्य		संशोधित मूल्य	
			मूल्य / एमटी	प्रति 100 बोरे का मूल्य	मूल्य / एमटी	प्रति 100 बोरे का मूल्य
बी-टवील सैकिंग (580 ग्राम) (बिना लिंकेज के) जनवरी, 2017	का.आ. 707(अ). दिनांक 06 जनवरी, 2017	टाइप ए	रु 72602.00	रु 4210.92	रु 72575.00	रु 4209.35
		टाइप बी	रु 72416.00	रु 4200.13	रु 72575.00	रु 4209.35

बी-ट्वील सैकिंग (580 ग्राम) (8.9% लिंकेज के साथ) फरवरी, 2017	का.आ. 708(अ). दिनांक 20 फरवरी, 2017	टाइप ए	रू 72558.00	रू 4208.36	रू 72966.00	रू 4232.01
		टाइप बी	रू 72558.00	रू 4208.36	रू 72966.00	रू 4232.01
बी-ट्वील सैकिंग (580 ग्राम) (बिना लिंकेज के) फरवरी, 2017		टाइप ए	अधिसूचित नहीं	अधिसूचित नहीं	रू 73001.00	रू 4234.08
		टाइप बी	अधिसूचित नहीं	अधिसूचित नहीं	रू 73001.00	रू 4234.08

2. बी-ट्वील बोरे ए-प्रकार और बी-प्रकार के जूट बोरे की पहले निर्धारित की गई मूल्य अधिसूचना संख्या का.आ. 707(अ). दिनांक 06 जनवरी, 2017 जनवरी, 2017 के लिए और का.आ. 708(अ). दिनांक 20 फरवरी, 2017 फरवरी, 2017 के लिए, एतद्वारा संशोधित की जाती है। बाकि सभी शर्तें जो अधिसूचना संख्या का.आ. 707(अ). दिनांक 06 जनवरी, 2017 जनवरी, 2017 के लिए और का.आ. 708(अ). दिनांक 20 फरवरी, 2017 फरवरी, 2017 में उल्लिखित हैं, अपरिवर्तित रहेंगी।

3. इस अधिसूचना के अधीन निर्धारित की गई मूल्य में जीएसटी सम्मिलित नहीं है एवं प्राप्तकर्ता द्वारा फैक्टरी उत्तर मूल्य के अलावा इन्हें अलग से भुगतान करना होगा।

[फा. सं. जूट(टी)-6/1/178/जीएन(39)/2019-I(ई)]

नीरज कुलहरि, उप पटसन आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Jute Commissioner)

NOTIFICATION

Kolkata, the 26th March, 2026

S.O. 1616(E).—In partial modification of Notification No. S.O. 707(E) dated 6 January, 2017 published in the Gazette of India, S.O. 708(E) dated 20 February, 2017 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section-3, sub-section (ii) and in exercise of the powers conferred by Clause-3(6) of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016, I, **Neeraj Kulhari**, Deputy Jute Commissioner, hereby FINALLY fix the maximum ex-factory price for the month of January 2017 & February 2017 for the 580 gm 'Type – A' & 'Type – B' Jute Bags as follows:—

Description	Previous Notification No. and date	Bag Type	Previously Notified Price		Revised Price	
			Price/MT	Price per 100 bags	Price/MT	Price per 100 bags
B-Twill Sacking (580 gms) (Without Linkage) January, 2017	S.O. 707(E) dated 6 January, 2017	Type A	Rs. 72602.00	Rs. 4210.92	Rs. 72575.00	Rs. 4209.35
		Type B	Rs. 72416.00	Rs. 4200.13	Rs. 72575.00	Rs. 4209.35
B-Twill Sacking (580 gms)	S.O. 708(E) dated 20	Type A	Rs. 72558.00	Rs. 4208.36	Rs. 72966.00	Rs. 4232.01

(With Linkage 8.9%) February, 2017	February, 2017	Type B	Rs. 72558.00	Rs. 4208.36	Rs. 72966.00	Rs. 4232.01
B-Twill Sacking (580 gms) (Without Linkage) February, 2017	S.O. 708(E) dated 20 February, 2017	Type A	Not Notified	Not Notified	Rs. 73001.00	Rs. 4234.08
		Type B	Not Notified	Not Notified	Rs. 73001.00	Rs. 4234.08

2. The Price of B-Twill sacking Type - A & Type - B Jute bags fixed earlier Vide Notification No. S.O. 707(E) dated 6 January, 2017 **for January, 2017** & Notification No. S.O. 708(E) dated 20 February, 2017 **for February, 2017**, hereby stand revised all the other condition as mentioned in the Notification No. S.O. 707(E) dated 6 January, 2017 **for January, 2017** & Notification No. S.O. 708(E) dated 20 February, 2017 **for February, 2017** remain unaltered.

3. The price fixed under the notification shall be exclusive of GST which shall be paid in addition to the Ex-factory price by the receiver.

[F. No. Jute(T)-6/1/178/GN(39)/2019-I(E)]
NEERAJ KULHARI, Dy. Jute Commissioner